

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित) सैक्टर-81, नॉंलेज सिटी, पो. ओ. मनौली, एस. ए .एस. नगर, मोहाली, पंजाब - 140 306 INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH MOHALI

(Estd. By Ministry of Education, Govt. of India)

Sector – 81, Knowledge City, P.O. Manauli, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab -140 306

Phone : +91-172-2240124 • Fax : +91-172-2240124 • http://www.iisermohali.ac.in

परिवार निर्भरता घोषणा फॉर्म/

FAMILY DEPENDENCY DECLARATION FORM

[चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए]

[For the purpose of Medical Reimbursement]

कर्मचारी का नाम /Name of the employee	
पीएफ नं / PF.No.	
पदनाम और विभाग/Designation &	
Department	
जन्म की तारीख /Date of Birth	
वैवाहिक स्थिति /Marital Status	
ज्वाइन करने की तिथि /Date of Joining	
सेवानिवृत्ति की तिथि /Date of Retirement	



आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण /DETA I LS OF DEPEN D ENT "FAM I LY" MEMBERS

सरकारी मानदंडों के अनुसार फॉर्म के पीछे आश्रित परिवार के सदस्यों की परिभाषा/ (Definition of dependent family

members behind the form as per Govt. norms)

- ✤ सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं / ALL FIELDS ARE MANDATORY
- आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य है और नवजात के मामले में जन्म प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए / Adhaar card copy is mandatory and copy of Birth Certificate in case of new born should be compulsorily

क्रमांक Sr. No.	आश्रित परिवार के सदस्यों का नाम / Name of the Dependent family Members	संबंध / Relationship	जन्म की तारीख/ Date of Birth	व्यवसाय / Occupation	वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित/विधवा) Marital Status (married/Unmarried/ Widowed)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

- । जब पति और पत्नी दोनों कार्यरत हों /When both husband and wife are employed :
- a) Is spouse of the employee a Government Servant? YES/NO (Strike off Which is not applicable) If Yes, then name of the Organization_____
- ख) यदि कर्मचारी के पति/पत्नी स्थानीय निकायों/निजी संगठनों से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं? हाँ नही (केंद्र सरकार के नियमों के तहत या तो चिकित्सा सुविधाओं या द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का चयन कर सकते हैं वह संगठन जिसमें पति/पत्नी कार्यरत हैं)।
- b) If spouse of the employee availing medical facilities from local bodies/private organizations?
 YES/NO (May choose either the medical facilities under the Central Government rules or facilities provided by the organization in which the spouse is employed).
- II क्या परिवार के आश्रित सदस्यों (पति/पत्नी के अलावा) की आय 9000/- रुपये प्रति माह से अधिक है 9000/-मिमी की मूल पेंशन पर महंगाई राहत का? हाँ/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें) Is Income of dependent family members (other than spouse) more than Rs.9000/-pm plus the amount of dearness relief on basic pension of Rs.9000/-mm? YES/NO (Strike off Which is not applicable)

<u> उपक्रम / UNDERTAKING:</u>

 परिवार के आश्रित सदस्यों (पति/पत्नी के अलावा) की आय 9000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही रुपये की मूल पेंशन पर महंगाई राहत की राशि। .9000/- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति

पेंशन/वेतन/व्यापार सेवा आदि सहित सभी स्रोतों से। /

The Income of dependent family members (Other than spouse) do not exceed Rs.9000/- pm plus the amount of dearness relief on basic pension of Rs. .9000/- pm per person from all sources including pension/salary/business service etc.

2. उपरोक्त भरे गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में, इसकी सूचना कार्यालय को यथाशीघ्र दी जाएगी। / In the event of any change in the above filled particulars, the same shall be intimated to the office at the earliest.

3. मेरे परिवार के आश्रित परिवार के सदस्यों का दिया गया विवरण सही है। यदि कोई कथन असत्य पाया जाता है, तो मैं अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।/

The particulars of dependent family members of my family as given are correct. If any statement is found to be false, I shall be liable for disciplinary action.

4. मैं एतद्द्वारा किसी भी परिवर्धन या संशोधन के लिए कार्यालय के प्रमुख को सूचित करके उपरोक्त

विवरण को अद्यतन रखने का वचन देता हूं। /

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Head of the Office for any addition or revision.

संलग्नकों की संख्या / No. of Enclosures:

कर्मचारी के हस्ताक्षर/Signature of the Employee

निर्देश / INSTRUCTIONS

आश्रित परिवार के सदस्य की परिभाषा इस प्रकार है / Definition of Dependent Family member is as follows:

(i) सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, और दो जीवित अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं, भले ही वे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं या नहीं; (अविवाहित पुत्र तब तक जब तक वह कमाना शुरू न कर दे या जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, जो भी पहले हो, बेटी जब तक वह कमाई शुरू नहीं कर लेती या शादी नहीं कर लेती इनमें से जो भी पहले हो)।/

The Government servant's wife or husband, as the case may be, and two surviving unmarried children or step children wholly dependent on the Government servant, irrespective of whether they are residing with the Government servant or not; (Unmarried son till he starts earning or till he attains the age of 25 whichever is earlier, Daughter till she starts earning or gets married whichever is earlier).

(ii) विवाहित बेटियाँ जिनका तलाक हो चुका है, उन्हें छोड़ दिया गया है या अपने पति से अलग कर दिया गया है और विधवा बेटियां और सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही हैं और पूरी तरह से सरकारी सेवक पर निर्भर है / Married daughters who have been divorced, abandoned or separated from their husbands and widewed daughters and are residing with the Covernment servent and are wholly dependent on

widowed daughters and are residing with the Government servant and are wholly dependent on the Government servant.

- (iii) सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले और पूरी तरह से आश्रित माता-पिता और/या सौतेली मां / Parents and/or step mother residing with and wholly dependent on the Government servant;
- (iv) अविवाहित नाबालिग भाइयों के साथ-साथ अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, अपने से अलग हो गए सरकारी कर्मचारी के साथ रहने वाले और पूरी तरह से आश्रित पति या विधवा बहनें, बशर्ते उनके माता-पिता या तो जीवित न हों या स्वयं पूरी तरह से सरकारी सेवक पर निर्भर हों/

Unmarried minor brothers as well as unmarried, divorced, abandoned, separated from their husbands or widowed sisters residing with and wholly dependent on the Government servant, provided their parents are either not alive or are themselves wholly dependent on the Government servant.

(v) एक महिला कर्मचारी के पास अपने माता-पिता या अपने सास-ससुर को शामिल करने का विकल्प होता है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामले में उसकी सेवा के दौरान केवल एक बार बदला जा सकता है। / A female employee has a choice to include either her parents or her parents-in-laws option exercised can be changed only once during her service in case of medical reimbursement.